

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

अर्था पत्र सं. 48/09	धारा अंतर्गत 212 RTA	ग्राम नीमरेडा	तहसील इकडा
वादी शीला कौड़	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी वहीलाल कौड़	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/09	अभिभाषक प्राणी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्राधीकरणों के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सारिस्ता बाधवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राधीकरणों को परिश्रम समत तलक भर पत्रावली दिनांक 24/8/09 को पेश हो।	17/9
20/09	आज पीछरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/8/09 को पेश हो। 	
26/09	पत्रावली पेश हुई। वहील प्राणी उपस्थित। प्रतिवादी कुमा। ता 9 वी वाद शामिल समत भारत। जिन्की ओर से श्री सोमेश एडवो. आरफ अण्डर टैकिंग पेश की है। वास्तव जावेक। वकालत नाम पत्रावली दिनांक 17/9/09 को पेश हो।	
17/09	आज पीछरीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22/10/09 को पेश हो। 	
22/10/09	पत्रावली पेश हुई। वहील प्राणी उपस्थित। जावेक पेश नहीं हुआ। समत — वास्तव है वास्तव जावेक पत्रावली दिनांक 20/11/09 को पेश हो।	

25/12

अपने नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक ...8/6/22 को पेश हो।



न्यायालय सहायक अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

8/12

पत्रावली पेश हुई। वहुलार् फरीकेन उपस्थित। कइस नहीं हो सकी है। समय — बाई है। वास्ते कइस पत्रावली दिनांक 13/12/22 को पेश हो।

13/12

पत्रावली पेश हुई। वहुलार् फरीकेन उपस्थित। कइस नहीं हो सकी है। समय — बाई है वास्ते कइस पत्रावली दिनांक 29/12/22 को पेश हो।

29/12

अपने नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक ...9/11/22 को पेश हो।



न्यायालय सहायक अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

9/12

पत्रावली पेश हुई। वहुलार् फरीकेन उपस्थित। कइस नहीं हो सकी है। समय — बाई है। वास्ते कइस पत्रावली दिनांक 20/12/22 को पेश हो।

20/12

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। वकील प्राप्ति के रुक रुक कर तीन बार आज्ञा लगाई गई। फिर भी कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अटक जावरी अटक पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दारखिल दफ्तर हो।